फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

कृष्ण कुमार बनाम **मंगलाराम**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 68 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
27.04.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान / अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 72 / 73 की कुल 0.7590हैक भूमि की गैरसायल संख्या 1 रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 29.06.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
29/6/22	वकील सायल उपस्थित गैरसायल उपस्थित नहीं। गैरसायल की तलबी हेतु दुबारा सम्मन की रसीद पेश [illegible] इन्तजार / [illegible] हेतु दिनांक 2/8/22 को पेश हो।	
2/8/22	वकील सायल / सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई वकील सायल / सायल ने निवेदन किया की वह अपना प्रार्थना पत्र वापस [illegible] खारिज किया जावे। सायल [illegible] अपना प्रार्थना पत्र वापस [illegible] खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	[illegible]

Scanned with CamScanner